पक्षकारों एवं आदि के हस्ता...

निग /2826/II/15

(182)

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0 प्र0)

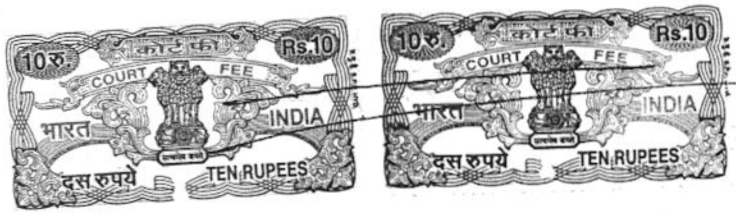

Rs. 20/-

281
28.7.15

केशव प्रसाद पाण्डेय तनय श्री रामकिशोर पाण्डेय निवासी ग्राम पताई तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म0 प्र0) ------ निगरानी कर्ता

ब ना म

शासन म.प्र.

2:- चिन्तामणि सिंह तनय श्री समर बहादुर सिंह निवासी ग्राम बड़िआँर तहसील सिरमौर, जिला रीवा म.प्र. ---- गैर निगरानी कर्ता

श्री. अजय पाण्डेय द्वारा आज दिनांक 28.7.15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध तहसीलदार महोदय, तहसील सिरमौर द्वारा [illegible] द्वारा प्र.क्र. 1315/14-015 मे पारित आदेश दि. 10.4.15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-रा. संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निगरानी कर्ता द्वारा विधिवत अपनी भूमियो का रकबे व कब्जे के अनुसार नक्शा तरमीम किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया। जिसे विधिवत दर्ज कर तहसीलदार महोदय द्वारा मौके से प्रतिवेदन बुलाया गया। मौके पर हल्का पटवारी व राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत जाँच कर - तरमीम प्रस्ताव दिया गया। तथा विधिवत मौके पर नक्शा व स्थल पंचनामा तैयार किया गया, जिसमे स्वयं गैर निगरानी कर्ता क्र. 2 उपस्थित था, तथा अपने हस्ताक्षर किया, तथा अन्य उपस्थित व्यक्तियो द्वारा तथा चौहद्दी कृषको द्वारा हस्ताक्षर

क्र. 2

(132)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक R–2826-II / 15 जिला—रीवा

केशव प्रसाद पाण्डेय / शासन म0प्र0

(1)	(2)
19-12-18-	1. आवेदक की ओर से श्री अजय पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, वृत्त लालगांव, तहसील सिरमौर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 1/अ–5/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 10.04.15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य